

श्री राधाकृष्ण मंदिर चारभुजा कमेटी मकरेडी जरिए अध्यक्ष उदयलाल पिता भवरलाल जी जाति ब्रजपुत्र उग्र निवासी मकरेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०

प्रार्थना

बनाम

श्रीतर पिता नन्दा जी जाति धाकड़ उग्र व्यासक निवासी ब्रजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०

विद्वान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- आदेश :-

दिनांक 5/5/2022

प्रार्थना पत्र प्राणी श्री राधाकृष्ण मंदिर चारभुजा कमेटी मकरेडी जरिए अध्यक्ष उदयलाल पिता भवरलाल जी जाति ब्रजपुत्र उग्र व्यासक निवासी मकरेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज० ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्राणीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मकरेडी पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलिया में आराजी न० 629/2 कुल कित्ता 1 रकबा 4.05 बीघा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश पदान कराया जाये। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र सलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्राणीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ोसीयान के विवाद करने बाबत शपथ पत्र सलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम मकरेडी पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलिया में आराजी न० 629/2 कुल कित्ता 1 रकबा 4.05 बीघा भूमि की बशमालात सभी काश्तकारान एव पड़ोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्राणी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा